

राजस्थान-सरकार,
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य, राजस्थान-जयपुर।
क्रमांक: नर्सिंग/पदो./न.अ.॥/एफ- /2010/70

दिनांक: 19/2/18

:: आदेश ::

राजस्थान चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1965 एवं संशोधित नियम 3.6.82 के नियम 23 व 24 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर निम्नांकित नर्स श्रेणी-1 (पुरुष/महिला) एवं नर्सिंग ट्यूटर को उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष की रिक्रितियों के विरुद्ध नर्सिंग अधीक्षक श्रेणी-द्वितीय के पद पर चयन किये जाने के फलस्वरूप सेवा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित वेतन शृंखला में नर्सिंग अधीक्षक श्रेणी-द्वितीय के पद पर एतद द्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	वर्ग	जन्म तिथि	डी.पी.सी. चयनित वर्ष	विशेष विवरण
1	दलपत सिंह कुमावत		19.07.49	2007-08	से0नि0
2	गोपाल कृष्ण पाराशर		13.09.50	2007-08	
3	आशूसिंह		21.12.50	2007-08	
4	कैलाश चन्द वर्मा		06.07.51	2007-08	
5	अंजनी कुमार		23.06.54	2007-08	
6	सत्यनारायण पारीक		29.09.50	2007-08	
7	शिवचरण पाराशर		09.07.48	2007-08	से0नि0
8	परवेज अहमद कुरैशी		01.10.53	2007-08	
9	औमप्रकाश महावर	एससी	15.07.55	2007-08	
10	रूपाराम राठौड	एससी	22.05.56	2007-08	
11	कन्हैया लाल यादव	एससी	08.09.53	2007-08	
12	रामेश्वर लाल	एससी	15.06.54	2007-08	
13	रामगोपाल बेरवा	एससी	05.06.56	2007-08	
14	राष्ट्रदल मीणा	एसटी	10.12.57	2007-08	
15	केसरलाल मीणा	एसटी	02.01.52	2007-08	
16	भंवर लाल डामोर	एसटी	11.08.57	2007-08	
17	बीना कुमारी थाडा		23.10.50	2007-08	
18	ग्लेडिश डोरथी		12.01.50	2007-08	से0नि0
19	कमलेश शर्मा		24.07.50	2007-08	
20	रुकमण कंवर		17.06.49	2007-08	से0नि0
21	मैरी एम0डी0		09.05.50	2007-08	
22	अनम्मा टी0		27.07.50	2007-08	
23	गिराज धरण गोतम		13.02.55	2007-08	
24	सत्यनारायण शर्मा		14.09.56	2007-08	
25	रजाउल्ला खां		01.01.54	2007-08	
26	प्रवीण चन्द		03.11.53	2007-08	
27	किशन लाल वर्मा		18.08.51	2008-09	
28	दुर्गाप्रसाद शर्मा		01.04.52	2008-09	
29	नारायण लाल वर्मा	एससी	15.12.56	2008-09	
30	लक्ष्मीकृष्णी टी0के0		13.04.49	2008-09	से0नि0
31	शरद सिंह सांखला		01.01.50	2008-09	से0नि0
32	सीताराम शास्त्री		01.06.54	2009-10	

33	किशन लाल कच्छवा		20.07.55	2009-10	
34	जेठमल		01.10.51	2009-10	
35	रविकुमार चतुर्वेदी		03.09.51	2009-10	
36	रामस्वरूप मीणा	एसटी	20.03.58	2009-10	
37	डेलफीना विलियम		10.05.49	2009-10	से0नि0
38	एलिस एलफर्ट		01.06.51	2009-10	

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक: एफ.7(1) डीओपी/ए-11/95 दिनांक: 20.6.2001 के परिपेक्ष में यदि उपरोक्त कर्मचारियों में से किसी के दिनांक: 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक सन्तान उत्पन्न हुई हों तो पदौन्नति अगले 5 वर्ष तक रूक जावेगी, इसकी सूचना निदेशालय को भिजवावें।

उक्त पदौन्नत कर्मचारियों को वेतन निर्धारण उक्त नियमों के नियम 24 ए उप नियम (11 ए) के अनुसार चयनित वर्ष की अंतिम तिथि से नोशनल आधार पर किया जावेगा तथा कोई एरियर देय नहीं होगा। पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।

30
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान-जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/पदो./न.अ.11/एफ.7/2010/70

दिनांक: 19/2/10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, ई.एस.आई., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान-जयपुर।
2. पुर्नवास अनुसंधान केन्द्र, जयपुर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें।
4. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
5. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान-जयपुर